कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ।

पत्रांक 676 / नक्शा / जि०पं० / 2015–2016 दिनांक 16 [illegible] 2016

मेसर्स अर्थीज इन्फ्रा हाइट्स प्रा०लि०
डायरेक्टर श्री अजय कुमार वरनवाल
ग्राम–अनौरा
विकास खण्ड–चिनहट
तहसील–सदर
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर सम्यक विचारोपरान्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग्रामसभा अनौरा विकास खण्ड चिनहट जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 210 में व्यवसायिक भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत मानचित्र के आधार पर कुल कवर्ड एरिया 4532.19 वर्गमीटर में कार्य कराये जाने हेतु निम्न प्रतिबन्धों सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1–प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय निर्माणाधीन अवधि में कोई भी सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।

2–मुख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थान की प्रतिबंधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1986 के नियम –7 यथावत लागू रहेगें।

3–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।

4–प्रतिबन्ध रहेगा कि मानचित्र के अनुसार प्रस्तुत मानचित्र के आधार 4532.19 वर्गमीटर में ही निर्माण कार्य कराया जाये।

5–प्रतिबन्ध रहेगा कि [illegible] माह के अन्दर मुख्य अग्नि शमन अधिकारी कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

6–प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शे / भवन में किसी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन भवन / मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत, लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन / परिवर्धन नहीं किया जायेगा। भूमि स्वामित्व के सम्बन्ध में जिला पंचायत, लखनऊ जिम्मेदार नहीं होगा।

अपर मुख्य अधिकारी

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ